



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2017/अग्रहायण 21, 1939

No. 467]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2017/AGRAHAYANA 21, 1939

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 5 दिसम्बर, 2017

बीमा सलाहकार समिति

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स./10/147/2017.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बीमा सलाहकार समिति (बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 3अ के अनुसार, प्राधिकरण निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है:

अधिसूचना फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स./2/139/2017 दिनांकित 21 मार्च, 2017 के द्वारा नियुक्त 24 सदस्यों के अतिरिक्त, श्री एन श्रीनिवास राव (आर्थिक सलाहकार, डीएफएस, एमओएफ) को अधिसूचना की तारीख से बीमा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/334/17]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 5th December, 2017

INSURANCE ADVISORY COMMITTEE

F. No. IRDAI/IAC/10/147/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), and in terms of Regulation 3A of the Insurance Advisory Committee (Meetings) Regulations, 2000, the Authority hereby makes the following notification:

Shri N.Srinivasa Rao (Economic Advisor, DFS, MoF) is appointed as Member of the Insurance Advisory Committee with effect from the date of notification in addition to the 24 members as appointed vide Notification F. No. IRDAI/IAC/2/139/2017 dated 21st March, 2017.

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty/334/17]